Concept of Justice (न्याय की धारणा)

न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है, इस व्यापक कल्याण की सिद्धि, जो व्यक्तियों के अलग-अलग कल्याण से भिन्न हो, बहुमत के कल्याण से भिन्न हो। न्याय की धारणा के अनुकूलता दो आधार है। स्वतन्त्रता और समानता।

न्याय धारणा के विविध रूप -

(i) नैतिक न्याय - परम्परागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वोत्तमायक, अपरिवर्तनीय तथा अन्तिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों को ठीक प्रकार से संचालित करते है। नैतिक न्याय के अन्तर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है, उनमें से कुछ है: सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, उदारता और दान का परिचय देना, आदि।

(ii) कानूनी न्याय - राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत, कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाये गये कानून न्यायोचित होने चाहिए एवं कानूनों को लागू करना अर्थात बनाये गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। पुनः कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) राजनीतिक न्याय - राजनीतिक न्याय की प्राप्ति एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही की जा सकती है। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के साथ-साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के अन्य साधन है। वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन, आदि की नागरिक स्वतन्त्रताएँ, प्रेस की स्वतन्त्रता, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, बिना किसी भेद-भाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना, आदि। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा।

Avinash

(14) सामाजिक न्याय - सामाजिक न्याय का अभिप्राय यह है कि नागरिक-नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाय और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म-विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हों।

भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था

भारत में राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतान्त्रिक व गणतन्त्रीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के तीसरे भाग (मौलिक अधिकार) और चौथे भाग (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विविध उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानूनों से समान सुरक्षा प्रदान की गयी है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेद-भाव की मनाही की गयी है और अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत का तथा अनु० 23 व 24 द्वारा बेगार व शोषण का अन्त कर दिया गया है।

संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेदों द्वारा तो सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया है और संविधान के नीति-निदेशक तत्वों के अन्तर्गत विशेषतया अनु० 41 से 44 तक जो विविध व्यवस्थायें की गयी है, उनका लक्ष्य सकारात्मक रूप में सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है।

अनुच्छेद 41 - नागरिकों को कुछ अवस्थाओं में काम, विद्या और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 - राज्य द्वारा काम की उचित दशाएँ बनाये रखने का प्रयत्न। अनुच्छेद 43 - श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रबन्ध। अनुच्छेद 44 - नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता। अनुच्छेद 45 - बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जातियों तथा अन्य सभी दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी उन्नति और अनुच्छेद 47 में सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की बात कही गयी है।

Scanned with CamScanner